



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-571

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 310645 दिनांक 02/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Pushpa Yadav W/o SHREE MAHIPAL	श्री बाबूलाल गुप्ता पुत्र स्व. रामस्वरूप गुप्ता	30	139.79 SQ. YARD	Private	RAMESHWA RDHAM PHASE-I	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना रामेश्वरधाम फेज-1 के भूखण्ड संख्या 30 क्षेत्रफल 139.79 व.ग. की लीजडीड दिनांक 24.12.2014 को श्री बाबूलाल गुप्ता पुत्र स्व. रामस्वरूप गुप्ता के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात दिनांक 22.09.2023 को भूखण्ड संख्या 30 क्षेत्रफल 139.79 व.ग. को श्री बाबूलाल गुप्ता पुत्र स्व. रामस्वरूप गुप्ता द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती लक्ष्मी रामरखानी पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश को बेचान किया गया। तत्पश्चात दिनांक 08.05.2026 को भूखण्ड संख्या 30 क्षेत्रफल 139.79 व.ग. को श्रीमती लक्ष्मी रामरखानी पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती पुष्पा यादव पत्नी श्री महिपाल को बेचान किया गया।
---	---	--	----	--------------------	---------	------------------------------	--	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Pushpa Yadav W/o SHREE MAHIPAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |